न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

शिकायत विविध वाद संख्या–01/2017–18

गोपाल राय बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

19/5/18

इस वाद की कार्यवाही जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना के ज्ञापांक 1133 दिनांक 27.03.2017 से प्राप्त श्री गोपाल राय, ग्राम–पुनाईचक, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना के परिवाद पत्र अनन्य वाद सं0 999951002021700347 के आलोक में आरम्भ की गयी।

आवेदक गोपाल राय के द्वारा इस आशय का परिवाद पत्र दिया गया था कि पटना सदर अंचल के दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{21}{3}$/1983–84 के द्वारा स्व0 रामदेव शरण यादव के नाम से अवैध जमाबंदी सं0 510 कायम कर दी गयी थी। उक्त जमाबंदी सं0 510 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक गोपाल राय को स्व0 रामदेव शरण यादव के उतराधिकारियों का नाम पता उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। गोपाल राय के द्वारा निम्न लोगों को प्रतिवादी बनाने हेतु आवेदन दिया गया।

1. श्री श्रवण कुमार, पिता स्व0 रामदेव शरण यादव
2. श्री ओम प्रकाश राय, पिता स्व0 रामदेव शरण यादव
3. श्रीमती नारायणी यादव, पिता स्व0 रामदेव शरण यादव, पति उपेन्द्र यादव
4. श्रीमती इन्दु देवी, पिता स्व0 रामदेव शरण यादव, पति अजय कुमार, सभी का पता देवी मंदिर रोड, पुनाईचक, थाना–शास्त्रीनगर, पटना।

सभी पक्षकारों को नोटिस निर्गत की गयी। नोटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी श्रवण कुमार, नारायणी यादव एवं इन्दु देवी की तरफ से वकालतनामा दायर किया गया।श्रवण कुमार एवं इन्दु देवी की तरफ से लिखित प्रतिउत्तर दायर किया गया।

आवेदक का कहना है कि

(1) टाईटिल सूट सं0 115/1961 रामदेव शरण यादव बनाम सौखी लाल यादव वगैरह चला था। उक्त टाईटिल सूट के लम्बित रहते हुए रामदेव शरण यादव, श्रवण कुमार एवं ओम प्रकाश राय के द्वारा अपने प्राप्त हिस्से की कुल भूमि की बिक्री गणेश प्रसाद अग्रवाल, पिता महावीर प्रसाद अग्रवाल से कर दी गयी, जिसका विवरण सेल डीड सं0 2763 वर्ष 1964 में है।

(2) टाईटिल सूट सं0 115/1961 रामदेव शरण यादव के द्वारा ही दायर किया गया था, जिसे न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.01.1967 को खारिज कर दिया गया।

(3) टाईटिल सूट सं0 115/1961 के खारिज होने के उपरान्त मेरे पूर्वज सौखी यादव के द्वारा गणेश प्रसाद अग्रवाल से क्रय की गयी भूमि

मेरे पूर्वज की सम्पति है।

(4) मेरे पूर्वज की मृत्यु के उपरान्त स्व0 रामदेव शरण यादव एवं उनके पुत्रों के द्वारा तथ्यों को छुपाकर तथा गलत उतराधिकारी शपथ–पत्र देकर दाखिल खारिजज वाद सं0 $\frac{21}{3}$ वर्ष 1983–84 के द्वारा अपने नाम से जमाबंदी सं0 510 कायम करा ली गयी।

(5) सदर अंचल, पटना के दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{54}{3}$ वर्ष 2014–15 में आपति करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य जमा किया गया है।

(6) विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 510 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल की गयी।

(1) टाईटिल सूट सं0 145/1961 के कागजात

(2) केवाला सं0 8139 वर्ष 1968

(3) केवाला सं0 2763 वर्ष 1967

विपक्षी श्रवण कुमार का कथन है कि

(1) प्रस्तुत वाद तथ्यरहित, निराधार एवं सत्य से परे है तथा खारिज करने योग्य है।

(2) आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने स्वामित्व के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्ररतुत नहीं किया गया है। उक्त भूखण्ड पर आवेदक का कभी भी दखल–कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूखण्ड इस वाद के विपक्षीगण के पूर्वजों के दखल में थी तथा अभी विपक्षीगण के दखल कब्जा में है। लगान रसीद निर्गत हो रही है।

(3) प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में पहले भी C.W.J.C No. 4460/1991, 4461/1991 एवं 4468/1991 दायर हुए थे, जिसके आदेश हमारे पूर्वज के पक्ष में हुए।

(4) दाखिल खारिज वाद सं0 21/1983–84 के तहत विपक्षी के पिता रामदेव शरण यादव के नाम से जमाबंदी सं0 510 दर्ज है, तथा लगान रसीद कटती आ रही है।

(5) रामदेव शरण यादव की मृत्यु के उपरान्त उनके दोनों पुत्र श्रवण कुमार एवं ओम प्रकाश के बीच सब जज–3 पटना के न्यायालय से टाईटिल सूट सं0 437/1994 के द्वारा बंटवारा हुआ। बंटवारा में मिले भूखण्ड पर दाखिल खारिज वाद सं0 861/2009–10 के द्वारा विपक्षी श्रवण कुमार के नाम से जमाबंदी सं0 1320 कायम है तथा राजस्व रसीद कट रही है।

(6) आवेदक के द्वारा स्वत्व का मामला उठाया गया है, जो इस न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर है। वर्ष 1983–84 में कायम जमाबंदी को 33 वर्षो के बाद रद्द नहीं किया जा सकता है।

(7) आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी इन्दु देवी के तरफ से दायर प्रतिउतर में कहा गया है कि:–

(1) आवेदक के द्वारा लाया गया यह वाद तथ्यहीन एवं आधारहीन है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) मौजा ढकनपुरा, खाता नं0 165, खेसरा नं0 494, रामदेव शरण यादव की मौरूसी सम्पति थी, जो उन्हें पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त हुई थी।

(3) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{21}{3}$ वर्ष 1983–84 के द्वारा पूर्णतः जाँचोपरान्त दखल कब्जा के आधार पर रामदेव शरण यादव के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दिनांक 15.02.1984 को दी गयी। आवेदक के द्वारा आज तक उक्त दाखिल खारिज आदेश के विरूद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की गयी।

(4) रामदेव शरण यादव के द्वारा प्रश्नगत खाता सं0 165, खेसरा सं0 494 रकवा 01(एक) कट्ठा अपनी पुत्री इन्दु देवी को दिनांक 03.03.1989 के बख्शीशनामा के द्वारा दिया गया। जिसके बाद इन्दु देवी उक्त भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में आयी तथा दाखिल खारिज वाद सं0 500/2000–01 के द्वारा उनके नाम से दाखिल खारिज कर जमाबंदी सं0 1112 कायम की गयी।

(5) आवेदक गोपाल राय के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 500/2000–01 के आदेश के विरूद्ध किसी न्यायालय में अपील दायर नहीं की गयी है।

(6) आवेदक गोपाल राय के द्वारा दायर आवेदन खारिज करने योग्य है।

उभय पक्षों को सुनने तथा दाखिल कागजातों के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) उभय पक्ष एक ही परिवार के वंशज है, जिनके बीच स्वत्व एवं उतराधिकार का विवाद है, जिसका निर्णय सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही हो सकता है।

(2) रामदेव शरण यादव के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{21}{3}$ वर्ष 1983–84 के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। यदि आवेदक उक्त दाखिल खारिज के आदेश से क्षुब्ध थे तो उन्हें उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दायर करनी चाहिए थी।

(3) वर्ष 1983–84 से कायम जमाबंदी जो कि एक विधिवत आदेश से कायम है, को रद्द किया जाना उचित एवं नियम सम्मत नहीं है।

(4) आवेदक के द्वारा ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक का दखल–कब्जा है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक का दखल–कब्जा नहीं है। विपक्षी के नाम से 35 वर्षों से विधिवत दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम है, जिसे अवैध नहीं कहा जा सकताहै। अतः आवेदक का आवेदन विचार योग्य नहीं है।

आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। प्रश्नगत भूखण्ड पर स्वत्व एवं हक के निर्धारण के लिए आवेदक सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

9/5/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

9/5/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना